राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प.7(2)कार्मिक/क–2/2006 पार्ट II जयपुर, दिनांक : 8 MAY 2015

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक सेवा में यद्यपि संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद अनेक वर्षों से स्वीकृत थे। किंतु पदोन्नति की प्रक्रिया जटिल होने के कारण इन पदों पर अब तक नियमित पदोन्नतियॉ प्रदान करना संभव नहीं हो सका था।

इस प्रक्रिया को सरल करने के प्रयोजन से कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 में आवश्यक संशोधन करते हुए अधिसूचना दिनांक 06.05.2015 को जारी की जा चुकी है, जिसकी प्रति विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस संशोधन के बाद इन पदो के लिए पदोन्नति की कार्यवाही संबंधित विभागों के स्तर पर ही संपादित की जानी है। ज्ञातव्य है कि मंत्रालयिक सेवा के कुछ पदनामों में परिवर्तन संबंधी संशोधन की अधिसूचना पूर्व में ही दिनांक 30.09.2014 से जारी की जा चुकी है।

वित्त विभाग द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में मंत्रालयिक कैडर का पुनर्गठन करते हुए विभिन्न पदों की संशोधित स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि वर्ष 2015–16 हेतु प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में पूर्ण शिथिलता (एक बारीय) भी प्रदान कर दी गई है ताकि प्रथम बार भरे जा रहे ये पद वांछित अनुभव वाले कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त न रह जावें। इसी प्रकार लिपिक ग्रेड–I, सहायक कार्यालय अधीक्षक तथा कार्यालय अधीक्षक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पात्र कर्मचारी उपलब्ध न होने की दशा में अनुभव में 1/3 अवधि की (अर्थात एक वर्ष की) शिथिलता प्रदान कर दी गई है। तदनुसार आगामी कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है।

कृ0 पृ0 उ0

अतः सभी विभागों से यह अपेक्षित है कि वे अब बिना किसी विलंब के अपने विभाग के रिक्त पदों पर (उक्त दोनों पदों सहित) पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र संपादित/पूर्ण करावें ताकि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके।

(ओ.पी.गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल,राजस्थान ।
2. सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,राजस्थान ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति, मुख्य सचिवगण।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

22/2015